बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 6/07/2026

संख्या–14/प्रो०–804/2026–12014/सा०प्र०– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300, दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या–636, दिनांक–10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13 ए) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती) एवं गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2026 के अनुसार)	वर्त्तमान कोटि
1	2	3	4
1.	कनक बाला, पटना	112	संयुक्त सचिव
2.	मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, कटिहार	114	संयुक्त सचिव
3.	अनिल कुमार सिंह, भोजपुर	115	संयुक्त सचिव
4.	कुमार विनोद, शेखपूरा	116	संयुक्त सचिव
5.	विनय कुमार ठाकुर, मधुबनी	117	संयुक्त सचिव
6.	रविश किशोर, कटिहार	120	संयुक्त सचिव
7.	राजेश कुमार, बेगूसराय	121	संयुक्त सचिव
8.	रवीन्द्र नाथ गुप्ता, वैशाली	122	संयुक्त सचिव
9.	अजीत कुमार, नवादा	124	संयुक्त सचिव
10.	राजीव राठौर, रोहतास	125	संयुक्त सचिव
11.	शैलेश कुमार, पटना	127	संयुक्त सचिव
12.	रवीन्द्र कुमार, नालन्दा	128	संयुक्त सचिव

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है।

6/7/26

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान–वेतन स्तर–13 ए) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जगदीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–14/प्रो०–804/2026– 12014 /सा0प्र0 पटना–15, दिनांक– 6/07/2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 8, 12, 27 एवं 29 (बि0प्र0से0 चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।